संख्या-28/2021/1693620/12-5099//11/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2021

विषयः प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केन्द्र पोषित महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें भूमिधर कृषकों को जो अनर्ह श्रेणी का नहीं है, को 6000 रू0 प्रति वर्ष (चार माह की 3 बराबर किस्तों में) की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्रदेश में अब तक लगभग 2 करोड़ 47 लाख कृषकों को कम से कम एक किस्त दे दी गयी है एवं 2 करोड़ 35 लाख कृषकों का डाटा सुधार करते हुए नियमित रूप से किस्तें उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये हैं।

इस योजना की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ कि निम्न कारणों से अभी भी बड़ी संख्या में कृषक लाभ पाने से वंचित है।

(i) बहुत से लाभार्थियों का इनवैलिड आधार होने तथा आधार में नाम मिस्मैच होने के कारण किस्तें रूकी हुई है औरत्रुटियों का समाधान नहीं हुआ है। जिलावार लम्बित प्रकरण का विवरण संलग्न है।

(ii) पी0एम0 किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से प्राप्त आवेदन पत्र बड़ी संख्या में कृषि विभाग और राजस्व विभाग के स्तर पर सत्यापन हेतु लम्बित हैं। जिलावार लम्बित प्रकरणों का विवरण संलग्न है।

(iii) प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अभी भी लम्बित चल रहा है जिसका निराकरण समयबद्ध तरीके से किया जाना अनिवार्य है जिससे कि पात्र कृषकों की किस्त मिलनी आरम्भ हो।

(iv) वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के लाभार्थियों का शत प्रतिशत सत्यापन के कार्य को तेजी से पूरा किया जाना है।

2- इनवैलिड आधार और नाम मिस्मैच के प्रकरणों का निस्तारण

आधार इनवैलिड तथा नाम मिस्मैच के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश दिये गये हैं। यह भी निर्देश दिये गये थे कि जिलाधिकारी अपने स्तर से बैंकर्स की बैठक कर के ऐसे लम्बित लाभार्थियों की सूची देते हुए उनके बैंक खातों के आधार पर लाभार्थियों का पता, उनके मोबाइल नम्बर की जानकारी प्राप्त कर लें। उक्त जानकारी के आधार पर उन लाभार्थियों से सम्पर्क करते हुए उनका सत्यापन करते हुए डाटा में सुधार कराया जाये जिससे पात्र कृषकों को किस्तें मिलनी आरम्भ हो जाये। अपात्र प्रकरणों में धनराशि की वसूली की जाये। यह अपेक्षा है कि उपरोक्त रणनीति के अनुसार ही अगले एक माह में समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करते हुए ऐसे समस्त प्रकरणों का शत प्रतिशत निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- ओपेन सोर्स से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण

पी0एम0 किसान पोर्टल पर ओपेन सोर्स से प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना अनिवार्य है। जनहित गारण्टी अधिनियम के अधीन उप कृषि निदेशक के स्तर पर 15 दिन एवं तहसील स्तर पर 15 दिन की अवधि निस्तारण हेतु तय की गयी है। इसके पश्चात प्रदेश में 2 लाख 65 हजार आवेदन पत्रों का लम्बित रहना चिंताजनक है। यह अपेक्षा की जाती है कि अगले 2 सप्ताह में समस्त लम्बित प्रार्थना पत्रों का शत प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करायें।

4- मृतक लाभार्थियों का भुगतान रोकने व वारिसों की स्वीकृति

राजस्व विभाग के निर्देशों के तहत वरासत दर्ज कराने हेतु अभियान चलाया गया था जिसके अन्तर्गत बड़ी संख्या में निर्विवाद वरासत दर्ज हुई है। यह आवश्यक है कि जो मृतक पी0एम0 किसान के लाभार्थी रहे हों, उनकी किस्तों को तत्काल रोका जाये तभी डाटाबेस को अद्यावधिक किया जाये। साथ ही उनके पात्र वारिसों के आवेदन पत्र लेते हुए योजना का लाभ दिलाया जाये। अपेक्षा है कि एक माह में अभियान चलाते हुए समस्त चिन्हित मृतक कृषकों के किस्तों को रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाये। केन्द्र सरकार द्वारा जैसे ही पी0एम0 किसान पोर्टल को नये लाभार्थियों के आवेदन हेतु खोला जाता है तो उनका आवेदन कराते हुए लाभ दिलाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

5- भौतिक सत्यापन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में 5 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 में 10 प्रतिशत किसानों का भौतिक सत्यापन कराया जाना है। लाभार्थियों को रेण्डम आधार पर चिन्हित कर के पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस कार्य को पूरा कराने का निर्देश कृषि विभाग द्वारा निर्गत कर दिया गया है। दोनों वर्षों का भौतिक सत्यापन 10 जुलाई, 2021 से पूर्व किया जाये तथा सत्यापन में अपात्र पाए गए लाभार्थियों से वसूली भी नियमानुसार सुनिश्चित करायी जाये।

6- शिकायतों का निस्तारण

पी0एम0 किसान पोर्टल में शिकायतों के निस्तारण की गति में सुधार आवश्यक है। यह सुनिश्चित किया जाये कि शिकायत प्राप्त होने पर एक पक्ष में ही इसका परीक्षण कर लिया जाये और अगर डाटा में त्रुटि है तो उसका सुधार कराते हुए शिकायतकर्ता को भी जानकारी देते हुए पोर्टल को अद्यावधिक किया जाये।

7- समस्त जिलाधिकारियों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर साप्ताहिक समीक्षा कर निर्धारित समय सीमा में समस्त कार्यवाही सम्पन्न करायी जाय। फील्ड स्तर पर सत्यापन/परीक्षण हेतु कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग/पंचायती राज के कर्मियों को भी लगाया जा सकता है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त योजना के सम्बन्ध में उल्लिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करायें, जिससे अधिकाधिक किसान लाभान्वित हो सके।

भवदीय,
राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-28(1)/2021/1693620(1)/12-5099//11/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:-

1-समस्त मंडलायुक्त को नियमित समीक्षा हेतु प्रेषित।
2-कृषि निदेशक को अनुपालनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in